असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

मंगलवार, दिनांक 06 अक्तूबर 2015

Notice for Extraordinary General Meeting

Tuesday, October 06, 2015

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय**: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(**Head Office :** 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

सूचना 3

टिप्पणियां 4

व्याख्यात्मक कथन 6

प्रॉक्सी फार्म 13

उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पास 15

Notice 8

Notes 9

Explanatory Statement 11

Form of Proxy 14

Attendance Slip/Entry Pass 15

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	**तारीख** / Date
ई-वोटिंग अवधि E-Voting period	3 अक्तूबर 2015 को सुबह 9.00 बजे से 5 अक्तूबर 2015 को सायं 5.00 बजे तक From 9.00 a.m 3rd October, 2015 to 5.00 p.m 5th October, 2015
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	1 अक्तूबर 2015 को सायं 5.00 बजे तक 1st October, 2015 by 5.00 p.m
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date time and venue of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 6 अक्तूबर 2015 को प्रात: 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005 Tuesday, 6th October, 2015 at 10.30 a.m Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501 Shivajinagar, Pune-411005

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(**प्रधान कार्यालय**: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

शेयरधारकों को सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार 06 अक्तूबर 2015** को प्रात:10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य-व्यवहारों का संचलन किया जाएगा :

1. **निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:**

"**प्रस्ताव किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर) विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड"कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है." सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार को अधिमान आधार पर ₹ 10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 394.00 करोड़ (तीन सौ चौरानवे करोड़ मात्र) के 10,51,50,787 ईक्विटी शेयरों को ₹ 37.47 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करना.

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 04 सितंबर, 2015 है.

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा.

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे.

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/निदेशकों या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 सितम्बर, 2015

टिप्पणियां :

1. **व्याख्यात्मक विवरण:**

   बैठक के कार्य-व्यवहार के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:**

   बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) को नियुक्त करने के लिए हकदार होगा और यह आवश्यक नहीं कि यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) नियमावली, 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत प्रदान करने वाला, जिस लिखत से वह संबंधित है, उस संबंध में बैठक में वैयक्तिक रूप से वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत इस नोटिस के साथ संलग्न 'प्रपत्र बी' में उल्लिखित प्रारूप के सिवाय वैध नहीं माना जाएगा.

   प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले से जमा व पंजीकृत नहीं किया गया हो, मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके आधार पर यह हस्ताक्षरित हो, या मुख्तारनामे की प्रति या मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित प्रति सहित प्रॉक्सी फॉर्म बैठक के दिनांक से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात **गुरुवार 01 अक्तूबर 2015** को शाम 5.00 बजे तक बैंक के लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में प्राप्त हो जाना चाहिए.

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

   कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग नहीं ले सकता है या वोट नहीं कर सकता है, ज1ब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, जिसमें कि यह पारित किया गया हो कि बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक के कार्यमसय के समापन से पूर्व अर्थात **गुरुवार 01 अक्तूबर 2015** को सायं 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय के ऊपर उल्लिखित पते पर जमा की गई हो.

4. **मतदान अधिकार:**

   बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उप धारा 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने धारित शेयरों के आधार पर, **बैंक के शेयरधारकों के कुल 10 प्रतिशत मतदान अधिकार से अधिक मतदान करने का हकदार नहीं होगा.**

   उपर्युक्तानुसार विनियावली के विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जोकि **नियत तारीख यथा मंगलवार, 29 सितंबर, 2015** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मतदान करने का अधिकार रहेगा. विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर एक से अधिक व्यक्ति के नाम से जारी है तो जहां तक मतदान करने का संबंध है, रजिस्टर में उल्लिखित पहले व्यक्ति के नाम को, एकल धारक के रूप में माना जाएगा.

5. **उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पर्ची (उपस्थिति पर्ची):**

   शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची -सह प्रवेश पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न है. शेयरधारकों के पास यह विकल्प है कि वे अपना मतदान ई-वोटिंग मंच का उपयोग करके दें. जो ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं वे अपना मतदान असाधारण सामान्य बैठक की तारीख को बैठक के केन्द्र में आयोजित मतदान में दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि 'उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र पास' पर 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जो भी स्थिति **हो, का उल्लेख करें.**

6. **ई-वोटिंग/मतदान प्रक्रिया:**

   क) ई-वोटिंग

   स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के खंड 35 बी के अनुसरण मे नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है. इसके लिए बैंक ने ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) को ई-वोटिंग सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है. ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने मेसर्सएस एन अनंतसुब्रमणियम एंड कंपनी (प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव) को संवीक्षक नियुक्त किया है. **ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हो या डी-मैट रूप में, नियत दिनांक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान दे सकते हैं. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) **संशोधन नियम, 2015 के अनुसार दिनांक 03 अक्तूबर, 2015 को सुबह 9.00 बजे से दिनांक**

05 अक्तूबर, 2015 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट की वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

I रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है:

क) जिन शेयरधारकों का ई-मेल आईडी बैंक/निक्षेपी सहभागी (सहभागियों) के पास पंजीकृत है, उन्हें नोटिस के साथ **इवीइएन (रिमोट_ई-वोटिंग_इवेन्ट_नंबर), यूजर_आईडी_और_पासवर्ड/पिन** उनके संबंधित ई-मेल आईडी पर भेजा गया है. पीडीएफ फाईल यथा '**रिमोट_ई-वोटिंग_पीडीएफ**' व ई-मेल खोलने हेतु पासवर्ड के रूप में अपने ग्राहक आईडी या फोलियो क्रमांक का उपयोग करें. इस पीडीएफ फाईल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन होगा. कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड एक आरंभिक पासवर्ड है.

ख) ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/ निक्षेपी सहभागी(गियों) के पास पंजीकृत नहीं है या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं, उन्हें निम्न प्रारूप के अनुसार आरंभिक पासवर्ड इस नोटिस के साथ एक अलग स्लिप में प्रदान किया जाएगा.

इवीइएन (रिमोट ई-वोटिंग इवेन्ट नंबर), यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन

ग) ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाईप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें
https://www.evoting.nsdl.com/

(ii) शेयरहोल्डर-**लॉग-इन** पर क्लिक करें

(iii) उपर्युक्त चरण (i) में नोट किए अनुसार आरंभिक पासवर्ड/पिन के रूप में यूजर आईडी व पासवर्ड टाईप करें. लॉग-इन पर क्लिक करें.

(iv) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रदर्शित होगा. कम से कम 8 अंकों/वर्णों या इनके मिश्रण से अपनी पसंद के नए पासवर्ड/पिन से आरंभिक पासवर्ड को परिवर्तित कर लें. नया पासवर्ड नोट करें. किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें.

(v) आपको नए पासवर्ड व यूजर आईडी के साथ पुन: लॉगइन करना होगा.

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का मुख पृष्ठ खुलेगा. **रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकिल्स** पर क्लिक करें.

(vii) **"बैंक ऑफ महाराष्ट्र"** के **"EVEN"** पर क्लिक करें.

(viii) मतदान करें **Cast Vote** पृष्ठ खुलने पर अब आप रिमोट ई-मतदान के लिए तैयार हैं.

(ix) मतदान पृष्ठ पर नियत दिनांक (29 सितंबर, 2015) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी.

(x) कार्यसूची मदों के अनुसार जैसा भी मामला हो आप सहमत या असहमत पर क्लिक कर सकते हैं. उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और **"सबमिट"** पर क्लिक करें और स्क्रीन पर कन्फर्म प्रदर्शित होने पर '**कन्फर्म**' पर क्लिक करें.

(xi) '**कन्फर्म**' होने पर '**वोट कास्ट सक्सेसफुली**' आपका मतदान पूर्ण हुआ यह संदेश प्रदर्शित होगा.

(xii) संकल्प में आपका मत एक बार '**कन्फर्म**' करने पर, आप को अपने मत में संशोधन की अनुमति नहीं होगी.

घ) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनिवासी भारतीयों इत्यादि को छोड़कर) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(कर्ताओं) के अधिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी scrutinizer@snaco.net पर भेजना होगा और एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी होगी.

ङ) यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपने मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन का उपयोग कर सकते हैं.

च) आप फोलियो के यूजर प्रोफाईल ब्यौरों में अपना ई-मेल आईडी और मोबाईल क्रमांक अद्यतित कर सकते हैं जोकि भविष्य में संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाएगा.

छ) नियत दिनांक को निक्षेपागारों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नाम वाले व्यक्ति ही मतपत्र के माध्यम से असाधारण बैठक में मतदान के साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा हेतु पात्र होंगे.

ज) उपर्युक्त 4 में किए गए उल्लेखानुसार, नियत तारीख को जैसा भी मामला हो, को बैंक में सदस्यों के द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में उनके मताधिकार होंगे.

झ) किसी भी शंका की स्थिति में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल और सदस्यों के लिए बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं.

ञ) कोई व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर लेता है और बैंक का शेयरधारक हो जाता है और जो नियत दिनां-क अर्थात 29 सितंबर 2015 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीयक व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/बैंक को या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डीटेल/पासवर्ड" का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) से संपर्क कर सकते हैं. .

ट) शनिवार दिनांक 03 अक्तूबर 2015 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार दिनांक 05 अक्तूबर 2015 को शाम 5.00 बजे तक ई-वोटिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा और इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

ठ) शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in के निवेशक सेवाएं लिंक को देख सकते हैं.

ख. बैठक में मतदान

कार्यसूची की मदों पर चर्चा के पश्चात बैंक कार्यसूची मदों पर मतदान का आयोजन करेगा. मतदान का संचालन एवं पर्यवेक्षण इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संवीक्षक द्वारा किया जाएगा. आम सभा के परिसर में उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सीधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना दे सकेंगे. तथापि जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही मतदान किया है वे बैठक के स्थान पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे. मतदान के समापन पर अध्यक्ष बैठक के समापन की घोषणा करेंगे.

बैठक में मतदान एवं रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के सकल परिणामों की घोषणा बैंक अपनी वेबसाईट पर करेगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित करेगा.

भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सेबी (आईसीबीआर) नियमावली 2009 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 9% सीआरएआर बनाए रखना है और अतिरिक्त शर्त के साथ इस न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी (सीईटी) को 5.50% होना चाहिए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) के रूप में होना चाहिए. बेसल III ढांचे के अनुसार 30.06.2015 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.61% था जिसमें से टीयर-I 8.57% सहित सीईटी-I 7.32% था. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)/ सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रु.800 करोड़ की पूंजी आवश्यकता की गणना की है.

ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2015 के संप्रेषण एफ.क्र.7 / 38 / 2014-बीओए के अनुसार भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के रूप में रु.394.00 करोड़ (रुपए तीन सौ चौरानवे करोड़) देने का निर्णय लिया है. निदेशक मंडल ने अपनी 01 सितंबर, 2015 को आयोजित बैठक में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर कुल रु.394.00 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है. उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक व्यवसाय वृद्धि हेतु किया जाएगा.

ग) निर्गम मूल्य का निर्धारण आज की तारीख तक संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा.

घ) सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 में उल्लिखित निर्धारित समयसीमा के भीतर बैंक शेयर निर्गम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा.

ड.) **निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप**

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क	प्रवर्तकों की धारिता (भारत सरकार)	848373774	79.80	953524561	81.61
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	214809147	20.20	214809147	18.39
	कुल	**1063182921**	**100.00**	**1168333708**	**100.00**

च) बैंक के इक्विटी शेयर छह माह से अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं इसलिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 की विनियमावली 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

छ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, जो कि प्रमुख शेयरधारक एवं बैंक का प्रवर्तक है. अत: नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा.

भारत सरकार की निर्गम पूर्व एवं पश्चात की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	848373774	79.80
निर्गम के पश्चात	953524561	81.61

ज) अधिमानी निर्गम के अंतर्गत भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले स्टॉक एक्स्चेंज द्वारा जारी सभी प्रस्तावित नए ईक्विटि शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे.

झ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व अधिमानी शेयर धारिता नए ईक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" की तारीख से छह माह की अवधि, जो संबंधित तारीख से प्रारंभ होगी, के लिए अवरुद्ध रहेगी.

ट) सांविधिक लेखा परीक्षक/परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाए कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है.

ठ) बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की यथावश्यक पुनर्गणना करने का वचन देता है.

ड) बैंक यह वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समयसीमा के भीतर यदि मूल्यों की पुनर्गणना पर कोई रकम देय होती है तो आबंटिती द्वारा ऐसी रकम के भुगतान तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन सूची में रखा जाएगा.

ढ) बैंक स्टॉक एक्सचेंज (जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं), के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है.

ण) भारत सरकार ने सबंधित तारीख से पूर्व 6 माह के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की हैं. साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर बेकागजीकृत (डी-मैटी रियलाइज्ड) स्वरूप में हैं.

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेख किए गए विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है.

संकल्प में निहित प्रस्ताव में बैंक के किसी भी निदेशक का किसी भी प्रकार से कोई संबंध या उनका कोई हित जुड़ा नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 सितम्बर, 2015

Bank of Maharashtra

(**Head Office :** 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 57 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, an **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Tuesday, 6th October, 2015, at 10.30 a.m.** at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005, to transact the following business:

1. **TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION**:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("The Act")**, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **("The Scheme")** and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 **("The Regulations")**, as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI")**, Government of India **("GOI")**, Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(SEBI ICDR Regulations)** as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 10,51,50,787 Equity Shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of ₹ 37.47 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating ₹ 394.00 crore (Rupees Three Hundred and Ninety Four Crore only) on Preferential basis to Government of India **("GOI")**.

   RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **4th September 2015**.

   RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

   RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

   RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

   RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**

Place: Pune
Date: 4th September 2015

(S. Muhnot)
Chairman and Managing Director

NOTES:

1. **Explanatory statement:**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect agenda item is annexed hereto.

2. **Appointment of Proxy:**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

   The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, situated at 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune; 411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Thursday, 1st October, 2015** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **Appointment of Authorised Representative:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Thursday, 1st October, 2015.**

4. **Voting Rights:**

   In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

   Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Tuesday, 29th September, 2015** shall have one vote for each share held by him/her. As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

5. **Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the Voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy /

Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. **E-Voting / Voting process:**

a) **E-voting**

Pursuant to Clause 35B of Listing Agreement with Stock Exchanges, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as the e-voting service providing agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMAMIAN & CO., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. **E-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** may cast their vote electronically. As per the Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015, remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on 3rd October, 2015 till 5:00 p.m. on 5th October, 2015 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) *For shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s), **EVEN (Remote e-voting Event Number), USER ID and PASSWORD/PIN** are sent on their respective e-mail IDs, alongwith the the Notice. Open email and open PDF file viz; **"<u>remote e-voting.pdf</u>"** with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.*

b) *For members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants(s) or requesting physical copy, initial password is provided as per the following format in a separate communication sent along with this notice:*

<u>EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID</u>
<u>PASSWORD/PIN</u>

c) *Follow steps to cast E-vote:*

(i) *Launch internet browser by typing the following URL**: <u>https://www.evoting.nsdl.com/</u>***

(ii) *Click on Shareholder - **<u>Login</u>***

(iii) *Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.*

(iv) *Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.*

(v) *You need to login again with the new credentials.*

(vi) *Home page of remote e-voting opens. **Click on remote e-voting: Active Voting Cycles**.*

(vii) *Select **"EVEN"** of **"Bank of Maharashtra".***

(viii) *Now you are ready for remote e-voting as **Cast Vote page** opens.*

(ix) *On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (29th September, 2015) will appear.*

(x) *In respect of Agenda items, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**SUBMIT**" and also "**CONFIRM**" when prompted.*

(xi) *Upon confirmation, the message "**Vote cast successfully**" will be displayed.*

(xii) *Once you "**CONFIRM**" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.*

d) *Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.,) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer*

through e-mail to scrutinizer@snaco.net and a copy to be marked to evoting@nsdl.co.in

e) *If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.*

f) *You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).*

g) *A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.*

h) *The voting rights of members shall be in proportion to their equity shares held in the Bank as on the cut-off date, as the case may be, as said in 4 above.*

i) *In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no.: 1800-222-990.*

j) *Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 29th September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the Toll free no.: 1800-222-990.*

k) *The Portal will remain open for e-voting from 9.00 a.m. on Saturday, 3rd October, 2015 to 5.00 p.m. on Monday, 5th October, 2015 and will be disabled thereafter.*

l) *Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.*

b) Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

a) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 9% of its Risk Weighted Assets, with the additional stipulation, of this minimum Common Equity Tier I Capital (CET) should be 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form CET. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 30.06.2015 was at 11.61% as per Basel III framework, of which Tier I capital was 8.57%, with CET I of 7.32%. For the additional requirement of CCB/CET and to provide necessary capital for the annual business growth, the Bank has assessed a capital requirement of ₹ 800 crore for the year ending 31st March 2016.

b) Government of India, Ministry of Finance, vide its communication F. No. 7/38/2014-BOA dated 19th August, 2015 has decided to infuse additional equity capital to the tune of ₹ 394.00 crore (Rupees Three Hundred and Ninety Four Crore only) in the Bank, by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India. The Board of Directors, in its meeting held on 1st September 2015, had approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto ₹ 394.00 Crore to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank's business growth.

c) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended till date.

d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	%age of share holding	No. of Shares	%age of share holding
A	**Promoter's Holding (Government of India)**	848373774	79.80	953524561	81.61
B	**Non-Promoter Holding**	214809147	20.20	214809147	18.39
	Total	**1063182921**	**100.00**	**1168333708**	**100.00**

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

g) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

Particulars	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	848373774	79.80
Post- issue	953524561	81.61

h) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges.

i) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.

j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k) The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.

l) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

m) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

n) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank are interested or concerned in any manner in the proposal contained in the Resolution.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**

(S. Muhnot)
Chairman and Managing Director

Place: Pune
Date: 4th September 2015

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

विनियमावली के विनियम 70 (iii) के अनुसार

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डी.पी.आई.डी. क्र.	
(यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है)		ग्राहक आई. डी. क्र.	
		(यदि डी-मैट स्वरूप में है)	

मैं/हम -- निवासी -- ------------------------- जिला -- राज्य --- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती --- निवासी ------------------------------ जिला --------------------------- राज्य ------------------- को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती ---निवासी-------------------------------- जिला -- राज्य ---------------------- को दिनांक मंगलवार 06 अक्तूबर 2015 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में होने वाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र की असाधारण सामान्य बैठक में या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में अपनी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ करती हूं.

₹ 1/- का राजस्व टिकट लगाएं

दिनांक --------- 2015 को हस्ताक्षरित

नाम:---------------------------------

(प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

पता:--------------------------

____

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि, -
   - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
   - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रुप से विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों.
   - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रुप से विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों. यह भी नोट किया जाए कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने के प्रस्ताव की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष के द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संलग्न की जाए.
2. प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश या मॅजिस्ट्रेट या एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए.
3. प्रॉक्सी फॉर्म
   - क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन हस्ताक्षर किया गया हो या
   - ख. किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात गुरुवार दिनांक 01 अक्तूबर 2015 के समापन समय से पहले अर्थात दोपहर 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 को प्रस्तुत किया जाए.
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर समुचित स्टैम्प न लगाया गया हो.
5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत **अपरिवर्तनीय व अंतिम होगा.**
6. यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दिया गया हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकेगा.
7. प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसा लिखत संबंधित है.
8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
9. नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

Form B
PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We, ……………...............…………………resident(s) of ……………...……………………..………in the district of…………...................................……in the State of …………………………………………....................…being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt…………...................……………… resident of …..................…………………in the district of………………….................... in the State of ……………………………………………………………………OR failing him/her, Shri/Smt………………………………………………… resident of …...............………………in the district of……...............………… in the State of ……………………...........……… as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on Tuesday, 6th October, 2015 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this ……………………. day of…………2015.

Name……………………………………………………

Address…………………………………………………

……………………………………………………………

Please affix ₹ 1/- Revenue Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
   a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
   b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. The Proxy together with:
   a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 5.00 p.m on Thursday, the 1st October, 2015.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

मंगलवार दिनांक 6 अक्तूबर 2015 को प्रात: 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Tuesday, 6th October, 2015 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है) / (To be surrendered at the time of registration of attendance)

एतद् द्वारा मैं बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं. (To be surrendered at the time of registration of attendance)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

यहां से काटें /cut here

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

मंगलवार दिनांक 6 अक्तूबर 2015 को प्रात: 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Tuesday, 6th October, 2015 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

प्रवेश पर्ची / ENTRY PASS

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु) /(To be retained through out the Meeting)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

शेयरधारकों / प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर कर प्रवेश पर्ची के साथ प्रस्तुत करें. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रवेश पर्ची वापस की जाएगी, जिसे बैठक पूर्ण होने तक रखना होगा.

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtr
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक